

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)

पंकरण संख्या - 191

तारीख 20/5/22

कैलाशचन्द्र पुत्र दोलतराम जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज)

.....प्रार्थी

बनाम

01. छीतरलाल पुत्र रामचन्द्र जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी राणाजी का गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज०)
02. श्रीमान क्षेत्रिय वन अधिकारी महोदय माण्डलगढ़ जिला भीलवाड़ा (राज.)

.....विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 - 128 रा०ले०रे०एक्ट

-: आदेश :-

दिनांक:

प्रार्थना पत्र कैलाशचन्द्र पुत्र दोलतराम जाति मीणा उम्र वयस्क पेशा कृषि निवासी गुढा तहसील बिजौलियाँ जिला भीलवाड़ा (राज.) ने जरिये अभिभाषक श्री रामफूल धाकड़ एडवोकेट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि मेरे एकल/संयुक्त खाते भूमि मौजा गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 28 पर अंकित आराजी संख्या 483/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि पर विपक्षीगण आये दिन सीमा विवाद को लेकर झगडा करते है। अतः पत्थरगढ़ी का आदेश प्रदान कराया जावे साथ में प्रार्थना पत्र की ताईद में शपथपत्र संलग्न है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर करवाया गया। प्रस्तुत पत्रावली पर विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई और पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली में संलग्न जमाबन्दी सम्वत 2076-2079 के अवलोकन से प्रार्थी वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार काश्तकार है। पड़ौसियान के विवाद करने बाबत् शपथपत्र संलग्न है। पत्थरगढ़ी से किसी के स्वत्व पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है। भू-अभिलेख निरीक्षक कांस्या को पत्थरगढ़ी बाबत् कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस 500/- रुपये तय की जाती है वक्त मौका प्रार्थी अदा करें।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान लेण्ड रेवेन्यु एक्ट स्वीकार किया जाकर मौजा गुढा पटवार हल्का गुढा तहसील बिजौलियाँ की सरहद में खाता संख्या 28 पर अंकित आराजी संख्या 483/1 रकबा 0.8094 हैक्टेयर भूमि बशामलात पड़ौसियान के पत्थरगढ़ी करने हेतु आदेशित किया जाता है एवं पत्थरगढ़ी शुल्क राशि 100/- रुपये राजकोष में जमा होने पर पालनार्थ तहसीलदार बिजौलियाँ को लिखा जावे।

प्रार्थना पत्र निर्णित होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया




उपखण्ड अधिकारी
बिजौलियाँ
भीलवाड़ा